8/6/20 आज यह पत्रावली प्रार्थी गुरबचन सिंह के द्वारा मूलवाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई 1 प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण मे पक्षकारो का आपस मे राजीनामा हो चूका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नोटप्रेस करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण मे जारी दिनांक २०/०५/२०२० की अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो

गुरबचन सिंह

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर